

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)  
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप. प्रक. क्र.—283 / 2013

संस्थित दिनांक—09.04.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,  
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोजन

विरुद्ध

राजाराम पिता कपूरसिंह अडमे, उम्र 25 साल, जाति गोंड,  
निवासी हुडडीटोला थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.) ..... आरोपी

— :: निर्णय :: —

(आज दिनांक 14 / 01 / 2015 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ख)(बी) के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी दिनांक 28.03.2013 को 14:35 बजे, आरक्षी केन्द्र रूपझर में लोकस्थान पर अपने आधिपत्य में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 6312 / 6552(1) दिनांक 22.11.1974 के उल्लंघन में रखे हुये पाया गया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रधान आरक्षक श्रीचंद पांचे दिनांक 28.03.2013 को हमराह आरक्षक 903 जैपाल निकुरे, 1209 कुलदीप सिंह परिहार के साथ देहात भ्रमण पर था। भ्रमण के दौरान उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हुडडीटोला में सरकारी स्कूल के सामने एक व्यक्ति अपने हाथ में लोहे की छुरी लेकर लोगों को डरा धमका रहा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर हमराही बल को अवगत कराकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान की ओर रवाना हुआ तो रास्ते

में राहगीर पंचान फागू पिता गुहासिंह, निवासी रूपझर व नेतलाल पिता समीलाल निवासी हुडडीटोला मिले, जिन्हें प्राप्त मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर व हमराह बल को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान सरकारी स्कूल के सामने पहुंचा तो देखा कि वहां पर एक व्यक्ति अपने दाहिने हाथ में एक लोहे की छुरी लेकर लोगों को डरा धमका रहा है, जिसे हमराह बल एवं पंचानों की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपी से धारदार हथियार लेकर आम रास्ते में चलने के लायसेंस के संबंध में पूछने पर आरोपी ने लायसेंस न होना बताया। आरोपी का कृत्य आयुध अधिनियम की धारा 25(बी) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी से धारदार छुरी जप्त कर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 27/13 अन्तर्गत धारा 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25(बी) के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ख)(बी) का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष हैं, पुलिस ने उसके विरुद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कर उसे झूठा फंसाया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (अ) क्या आरोपी दिनांक 28.03.2013 को 14:35 बजे, आरक्षी केन्द्र रूपझर में लोकस्थान पर अपने आधिपत्य में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 6312/6552(1) दिनांक 22.11.1974 के उल्लंघन में रखे हुये पाया गया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

(06) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता श्रीचंद पांचे (अ.सा. 3) का कहना है कि उसे दिनांक 28.03.2013 को ग्राम भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हुडडीटोला में सरकारी स्कूल के सामने एक व्यक्ति हाथ में लोहे की छुरी लेकर लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना पर हमराही बल को अवगत कराकर मुखबिर द्वारा बताये स्थान की ओर रवाना हुआ, रास्ते में राहगीर फागू पिता गुहासिंह निवासी रूपझर व नेतलाल पिता समीलाल निवासी हुडडीटोला मिले जिन्हें मुखबिर सूचना से अवगत कराकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचे तो एक व्यक्ति हाथ में छुरी लेकर लोगों को डरा धमका रहा था, जिसे हमराह बल व गवाहों के समक्ष घेराबंदी कर पकड़ा और मौके पर लोहे की छुरी समक्ष गवाहों के जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 बनाया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। आरोपी से पूछने पर आरोपी ने अपना नाम राजाराम पिता कपूरसिंह अडमे निवासी हुडडीटोला का होना बताया था। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 27/13 अन्तर्गत धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की, जो प्रदर्श पी-04 है। गवाह नेतलाल, फागूलाल, आरक्षक 1209 कुलदीपसिंह एवं आरक्षक 903 जयपाल के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

(07) विवेचनाकर्ता के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी जयपाल (अ.सा. 2) का कहना है कि दिनांक 28.03.2013 को आरक्षक कुलदीप के साथ देहात भ्रमण के दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हुडडीटोला में एक व्यक्ति छुरी लेकर लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना पर हुडडीटोला गये तो आरोपी हुडडीटोला में उसके घर के सामने हाथ में छुरी लेकर मिला। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि सूचना पर विश्वास कर वह मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान की ओर रवाना हुये। रूपझर के पंवारटोला में गवाह फागूलाल एवं नेतलाल को मुखबिर सूचना से अवगत कराये और साथ लेकर ग्राम हुडडीटोला सरकारी स्कूल के पास पहुंचे तो एक व्यक्ति हाथ में छुरी लेकर इधर-उधर चमकाकर डरा धमका रहा था एवं आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा और नाम पूछने पर आरोपी ने अपना नाम राजाराम पिता कपूरसिंह अडमे होना बताया था

तथा आरोपी के कब्जे से एक लोहे की छुरी साक्षी फागूलाल एवं नेतलाल के समक्ष जप्त किये थे।

(08) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी कुलदीप परिहार (अ.सा. 4) का कहना है कि वह दिनांक 28.03.2013 को भ्रमण में छपरवाही, चिखलाझोड़ी मुंशी के साथ गया था। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति लोहे की छुरी लेकर घूम रहा है। सूचना पर वह लोग हुडडीटोला गये और गांव के लोगों के सहयोग से समझाया। आरोपी गांव के भाग में आने जाने वाले लोगों को छुरी लेकर इधर-उधर घूमकर धमका रहा था। गांव के लोगों ने पहले ही बता दिया था कि आरोपी को नाम राजाराम है। आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने उसका नाम राजाराम होना बताया। आरोपी से समस्त कागजी वैधानिक कार्यवाही करके जप्त छुरी सहित थाने में लाये।

(09) किन्तु अभियोजन साक्षी नेतलाल (अ.सा. 1) का कहना है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी। आरोपी घटना के समय ग्राम हुडडीटोला में सरकारी स्कूल के सामने क्या कर रहा था, उसे इसकी जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है।

(10) अभियोजन साक्षी फागूलाल (अ.सा. 5) का कहना है कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसके सामने पुलिसवालों ने कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी और न ही आरोपी को गिरफ्तार किया था। उसने पुलिस को कोई बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट बताया है कि उसने पुलिस के कहने पर पंचनामा पर हस्ताक्षर किये थे।

(11) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि वह निर्दोष है। पुलिस ने उसके विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार कर उसे झूठा फंसाया है। अभियोजन साक्षी फागूलाल (अ.सा. 5), नेतलाल (अ.सा. 1) ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं विवेचनाकर्ता

तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(12) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(13) अभियोजन साक्षी / विवेचनाकर्ता श्रीचंद पांचे (अ.सा. 3) का कहना है कि उसे दिनांक 28.03.2013 को ग्राम भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हुडडीटोला में सरकारी स्कूल के सामने एक व्यक्ति हाथ में लोहे की छुरी लेकर लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना पर हमराही बल को अवगत कराकर मुखबिर द्वारा बताये स्थान की ओर रवाना हुआ, रास्ते में राहगीर फागू पिता गुहासिंह निवासी रूपझर व नेतलाल पिता समीलाल निवासी हुडडीटोला मिले जिन्हें मुखबिर सूचना से अवगत कराकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचे तो एक व्यक्ति हाथ में छुरी लेकर लोगों को डरा धमका रहा था, जिसे हमराह बल व गवाहों के समक्ष घेराबंदी कर पकड़ा और मौके पर लोहे की छुरी समक्ष गवाहों के जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 बनाया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। आरोपी से पूछने पर आरोपी ने अपना नाम राजाराम पिता कपूरसिंह अडमे निवासी हुडडीटोला का होना बताया था। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 27 / 13 अन्तर्गत धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की, जो प्रदर्श पी-04 है। गवाह नेतलाल, फागूलाल, आरक्षक 1209 कुलदीपसिंह एवं आरक्षक 903 जयपाल के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया था कि वह स्टाप के साथ भ्रमण पर सुबह निकला था, समय उसे ध्यान नहीं है। मुखबिर की सूचना का समय भी उसे याद नहीं है। मुखबिर की सूचना मिली थी तब वह रूपझर में था। आरोपी पकड़ते समय घेराबंदी करते समय 10-15 लोग उपस्थित थे। घेराबंदी के समय मौजूद लोगों के बयान उसने नहीं लिये।

(14) विवेचनाकर्ता के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी जयपाल (अ.सा. 2) का कहना है कि दिनांक 28.03.2013 को आरक्षक कुलदीप के साथ देहात भ्रमण के दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हुडडीटोला में एक व्यक्ति छुरी लेकर लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना पर हुडडीटोला गये तो आरोपी हुडडीटोला में उसके घर के सामने हाथ में छुरी लेकर मिला। अभियोजन द्वारा साक्षी



को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि सूचना पर विश्वास कर वह मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान की ओर रवाना हुये। रूपझर के पंवारटोला में गवाह फागूलाल एवं नेतलाल को मुखबिर सूचना से अवगत कराये और साथ लेकर ग्राम हुडडीटोला सरकारी स्कूल के पास पहुंचे तो एक व्यक्ति हाथ में छुरी लेकर इधर-उधर चमकाकर डरा धमका रहा था एवं आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा और नाम पूछने पर आरोपी ने अपना नाम राजाराम पिता कपूरसिंह अडमे होना बताया था तथा आरोपी के कब्जे से एक लोहे की छुरी साक्षी फागूलाल एवं नेतलाल के समक्ष जप्त किये थे। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि कुलदीप और वह देहात भ्रमण करने गये थे तो मुखबिर ने सूचना दी थी। उस समय मुंशी थाने में था। घटना का दिनांक व समय उसे ध्यान नहीं है। फागूलाल पुलिस का मुखबिर है और वह थाने में ही रहता है। आरोपी राजाराम से जप्ती की कार्यवाही थाने में की थी।

(15) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी कुलदीप परिहार (अ.सा. 4) का कहना है कि वह दिनांक 28.03.2013 को भ्रमण में छपरवाही, चिखलाझोड़ी मुंशी के साथ गया था। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति लोहे की छुरी लेकर घूम रहा है। सूचना पर वह लोग हुडडीटोला गये और गांव के लोगों के सहयोग से समझाया। आरोपी गांव के भाग में आने जाने वाले लोगों को छुरी लेकर इधर-उधर घूमकर धमका रहा था। गांव के लोगों ने पहले ही बता दिया था कि आरोपी को नाम राजाराम है। आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने उसका नाम राजाराम होना बताया। आरोपी से समस्त कागजी वैधानिक कार्यवाही करके जप्त छुरी सहित थाने में लाये। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि वह चिखलाझोड़ी से छपरवाही भ्रमण कर रहे थे तब सूचना मिली थी। साक्षी फागूलाल पुलिस का मुखबिर है और वह थाना परिसर में ही रहता है।

(16) किन्तु अभियोजन साक्षी नेतलाल (अ.सा. 1) का कहना है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी। आरोपी घटना के समय ग्राम हुडडीटोला में सरकारी स्कूल के सामने क्या कर रहा था, उसे इसकी जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है और इस बात से स्पष्ट इन्कार किया है कि वह पुलिस के साथ हुडडीटोला सरकारी स्कूल गया और आरोपी से लोहे

का धारदार छुरा जप्त किया गया था तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।

(17) अभियोजन साक्षी फागूलाल (अ.सा. 5) का कहना है कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसके सामने पुलिसवालों ने कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी और न ही आरोपी को गिरफ्तार किया था। उसने पुलिस को कोई बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट बताया है कि उसने पुलिस के कहने पर प्रदर्श पी-01 एवं 03 पर हस्ताक्षर किये थे।

(18) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी/विवेचनाकर्ता श्रीचंद पांचे (अ.सा. 3) एवं जयपाल (अ.सा. 2) तथा कुलदीप (अ.सा. 4) व अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी नेतलाल (अ.सा. 1) व फागूलाल (अ.सा. 5) के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी नेतलाल (अ.सा. 1) व फागूलाल (अ.सा. 5) ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षी नेतलाल (अ.सा. 1) व फागूलाल (अ.सा. 5) को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी आरोपी दिनांक 28.03.2013 को 14:35 बजे, आरक्षी केन्द्र रूपझर में लोकस्थान पर अपने आधिपत्य में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 6312/6552(1) दिनांक 22.11.1974 के उल्लंघन में रखे हुये पाया गया। इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है। अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता श्रीचंद पांचे (अ.सा. 3) एवं जयपाल (अ.सा. 2) तथा कुलदीप (अ.सा. 4) के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खण्डन होने से आरोपी दिनांक 28.03.2013 को 14:35 बजे, आरक्षी केन्द्र रूपझर में लोकस्थान पर अपने आधिपत्य में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 6312/6552(1) दिनांक 22.11.1974 के उल्लंघन में रखे हुये पाया गया। यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है।

(19) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी दिनांक 28.03.2013 को 14:35 बजे, आरक्षी केन्द्र रूपझर में लोकस्थान पर अपने आधिपत्य में

बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 6312/6552(1) दिनांक 22.11.1974 के उल्लंघन में रखे हुये पाया गया। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद प्रतीत होता है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

(20) परिणाम स्वरूप आरोपी को आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ख)(बी) के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(21) प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(22) प्रकरण में जप्तशुदा धारदार लोहे की छुरी मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित  
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)